

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

आदेश

राज्य सरकार के पत्र क्रमांक: प.19(4)शिक्षा-2/2019 पार्ट दिनांक: 26/08/2022 व उप निदेशक (शिक्षा), कार्यालय आयुक्त जनजाति क्षेत्रीय विभाग, उदयपुर के पत्रांक: एफ 3(ए)()शिक्षा/सीटीएडी/2022-23/29768 दिनांक: 14.09.2022 की पालना में जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर द्वारा संचालित ईएमआरएस बिहारीपुरा, तुंगा बस्ती, जयपुर में श्रीमती सोनु नैनीवाल, वरिष्ठ अध्यापक, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कोहला, जिला बांसवाड़ा की व्याख्याता (जीव विज्ञान) के रिक्त पद पर "राजस्थान सेवा नियम 1951 के नियम-144 "क" के तहत एक वर्ष के लिए प्रतिनियुक्ति किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

सम्बन्धित नियन्त्रक अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि तत्काल उपरोक्त कार्मिक को प्रतिनियुक्ति स्थान हेतु कार्यमुक्त कर इस कार्यालय को अवगत करावें।

संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक: शिविरा/माध्य/संस्था/एफ-3/13401/आ.विद्यालय(टी.ए.डी)/प्रतिनियुक्ति/2022/34 दिनांक: 11 OCT 2022

प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान, जयपुर को सूचनार्थ।
2. निजी सचिव, आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर।
3. उप निदेशक (शिक्षा), कार्यालय आयुक्त जनजाति क्षेत्रीय विभाग, उदयपुर।
4. संयुक्त निदेशक (स्कूल शिक्षा), उदयपुर संभाग, उदयपुर।
5. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), माध्यमिक, बांसवाड़ा।
6. सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करवाने बाबत।
7. संबंधित संस्था प्रधान/कार्मिक।
8. रक्षित पत्रावली।



सत्यमेव जयते

संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण)